UPSI010072932022

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0–2, सीतापुर।

उपस्थित– श्री महेन्द्र सिंह–IV

(उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code–UP 6113

दीवानी अपील सं0–58/2022

सी0 आई 0 एस 0 नं0–59/2022

1– बलदेव (मृतक दौरान वाद)।

1/1– भिक्खू उम्र 50 वर्ष।

1/2– लालचन्द उम्र 48 वर्ष।

1/3– केशन उम्र 45 वर्ष।

(पुत्रगण बलदेव),

2. मथुरा प्रसाद पुत्र नोखे उम्र 60 वर्ष (मृतक दौरान मूल वाद दिनांक 08.08.2016)

3. मैकू लाल (मृतक दौरान वाद) उम्र 65 वर्ष पुत्र खगेश्वर

3/1 श्रीमती सतवती बेवा मैकू लाल उम्र 60 वर्ष

3/2 रामखेलावन (नाबालिग) उम्र 30 वर्ष

3/3 ललिखा (नाबालिग) उम्र 28 वर्ष

3/4 वीरेन्द्र उम्र 35 वर्ष

3/5 पंकज पुत्रगण मैकूलाल (वली) माता सतवती उम्र 33 वर्ष।

(सर्व निवासीगण ग्राम गंगापुर मजरा भिठौली परगना पीरनगर तहसील सिधौली व जिला सीतापुर)

...अपीलकर्तागण।

बनाम्

1– रामविलास पुत्र गयादीन उम्र 60 वर्ष।

2– रामकली उम्र 50 वर्ष विधवा रामदयाल (मृतक दौरान अपील)

2/1– जागेश्वर उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र स्व० मथुरा प्रसाद

2/2– श्रीमती मंजू उम्र 25 वर्ष पत्नी स्व० जगदीश

2/3– सुरेश उम्र नाबालिग

2/4– जितेन्द्र उम्र नाबालिग } पुत्रगण स्व० जगदीश द्वारा संरक्षिका श्रीमती मंजू सगी माँ।

3– श्रीमती माधुरी उम्र 55 वर्ष पत्नी स्व० मथुरा

4– लल्लू उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व० मथुरा प्रसाद

(निवासीगण ग्राम गंगापुर मजरा भिठौली परगना पीरनगर तहसील सिधौली व जिला सीतापुर)

...उत्तरदातागण।

<u>निर्णय</u>

1– अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 96 सी०पी०सी० विरूद्ध आदेश श्रीमान सिविल जज (जू०डि०) बिसवाँ सीतापुर आदेश दिनांक 03.09.2022 दी०मु०नं०–261/1990 दायरा 31.10.1990 बमुकदमा बलदेव आदि बनाम रामविलास आदि में प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश के द्वारा वादीगण का वाद निरस्त कर दिया गया है।

2– संक्षेप में अपील से सम्बन्धित आधार इस प्रकार हैं कि – अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय एवं कानून के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अपीलकर्तागण ने विवादित जगह पर अपना कब्जा सम्पूर्ण रूप से साबित कर दिया है विवादित भूमि पूर्वजों की थी और अब अपीलकर्तागण काबिज है तथा अपीलकर्तागण की नादे बनी है वृक्ष लगे है उस पर अपीलकर्तागण के बैल बाँधे जाते है जो कि नक्शा नजरी में व कमीशन रिपोर्ट में स्पष्ट किये गये है। अपीलकर्तागण के मकानातो के निकट विवादित जगह अपीलकर्तागण की है। अपीलकर्तागण ने अपने वाद को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये है जिसका समर्थन अपीलकर्तागण द्वारा व साक्ष्यों द्वारा किया गया है। Respondents का विवादित जगह पर कब्जा नही है और न ही विवादित जगह के स्वामी है बल्कि विवादित जगह के स्वामी अपीलकर्तागण है। अपीलकर्तागण न अपने वाद को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये है जिसका समर्थन अपीलकर्तागण द्वारा व साक्ष्यों द्वारा किया गया है। Repondents का विवादित जगह पर कब्जा नही है और न विवादित जगह के स्वामी है बल्कि विवादित जगह के स्वामी अपीलकर्तागण है। बलदेव के पुत्र तेजराम की मृत्यु दौरान वाद लम्बन काल अविवाहित लावल्द गो गयी थी और उसकी मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी भीखू, लालचन्द्र व केशन उसके उत्ताराधिकारी के रूप में स्वामी व काबिज चले आते है तथा अपीलान्ट मथुरा प्रसाद के वारिस उनके पत्नी व पुत्र रेस्पांडेन्ट से मिल गये है और अपीलार्थीगण का विरोध कर रहे है इस कारण उन्हे रेस्पांडेन्ट सं० 3 व 4 के रूप में अंकित किया गया है। कमीशन आख्या से अपीलकर्तागण के मकानात व विवादित जगह स्पष्ट की गयी है तथा कब्जा भी अपीलकर्तागण का कमीशन द्वारा

स्पष्ट किया गया है। प्रश्नगत आदेश निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2022 के मूल वाद में वादी नम्बर 2 मथुरा प्रसाद जिनकी मृत्यु 8.8.2016 को हो गयी थी के विरूद्ध पारित किया गया है। इस कारण प्रश्नगत आदेश अवैधानिक है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जमीदारी अबोलिशन एक्ट की धारा 9 में यह प्राविधान रखा है कि खतौनी 1360 फसली के पूर्व जिसका कब्जा था वह माना जायेगा तथा उसे गाटा सं० से सम्बोधित किया है परन्तु इसे साबित करने के लिए सर्वे कमीशन रेस्पांडेन्टस ने नही करवाया है ताकि यह स्पष्ट हो कि विवादित भूमि का गाटा सं० कितना है। इस कारण रेस्पांडेन्टस ने अपने लिखित उत्तर के तथ्यों को वैधानिक रूप से साबित नही किया है। विवादित भूमि आबादी की है आबादी पर धारा 9 का प्रविधान लागू नही होता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मानने में गलती की है और धारा 9 के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा मानकर वाद निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है। रेस्पांडेन्टस जो मौखिक साक्ष्य पेश किये उसका समर्थन वैधानिक रूप से नही किया गया है अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निरस्त करने में केवल धारा 9 का प्रयोग करके अपीलकर्तागण का वाद निरस्त किया है तथा एक नजीर भी इस संदर्भ मे प्रस्तुत की है जो किसी दशा में वैधानिक दशा में लागू नही होती है। रेस्पांडेन्टस की विवादित भूमि होती तो अपीलकर्तागण स्थायी प्रतिबंध का वाद कैसे दाखिल करते जिस पर रेस्पांडेन्टस ने कब्जा करने का प्रयास किया। सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत है कि अपीलकर्तागण विवादित जमीन पर काबिज है तथा रेस्पांडेन्टस बिना किसी अधिकार व स्वामित्व के हस्तक्षेप कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में यह वाद बिन्दु नही बनाया कि यह विवादित भूमि रेस्पांडेन्टस के स्वामित्व की है। इस वाद बिन्दु के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश किसी दशा में पोषणीय नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश गुण व दोष के आधार पर निस्तारित न करने में गलती की है तथा धारा–09 के आधार पर ही वाद को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन न करके एवं पत्रावली के साक्ष्यों का जो कि अपीलकर्तागण ने भली प्रकार पढ़कर एवं उसके तथ्यों का मनन करने में गलती की है। अतः प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.09.2022 खण्डित किया जाय और डिग्री भी निरस्त की जाय अपील सव्यय स्वीकार करके निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

3– अपीलकर्तागण की ओर से सूची 5ग1 से नकल आदेश दिनांक 03.09.2022 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

4– अवर न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि वादीगण के पूर्वजों के पास दो मकान थे जिनमें से वादी मथुरा एक मकान में रहने लगा और दूसरे माकन में वादी बल्देव व मैकू रहने लगे। यह व्यवस्था केवल भोजन व रहने की सुविधा के लिए हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध कमीशन आख्या कागज सख्या 200 ग वादपत्र के अंश है जिसमे वादिय स्थल को क्रमशः अक्षर ए, बी, सी, डी एवं अक्षर ई, एफ, जी, एच. आई, जे से लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। मथुरा के मकान का निकास पूरब की ओर है जिसके आगे सहन है। वादी के मकान का सहन है जो प्रतिवादीगण के मकान की पिछली दीवाल तक है और इसी मकान के दक्खिन वादीगण की भूमि है वादी मथुरा के इस सहन को संलग्न कमीशन आख्या व कमीशन नक्शा में लाल रंग से एवं अक्षर ए, बी, सी, डी से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी चौहद्दी में उत्तर कोलिया, दक्षिण आम रास्ता पूरब दुछनिया छप्पर रामकली, पश्चिन मकान मथुरा वादी दर्शाया गया है। वादी बलदेव व मैकूलाल के वारिस वादी संख्या 1/1 से 1/4 व वादी 3/1 से 3/5 जिस मकान में रहते हैं उसके दो दरवाजे है जिसमे से एक उत्तर की ओर व दूसरे पश्चिम की ओर खुलता है। जिस मकान में मैकूलाल व बल्देव के बारिस वादी संख्या 1/1 से 1/4 व वादं 3/1 से 3/5 रहते हैं उसके पश्चिमी दरवाजे के आगे सहन है जिसमे वादीगण की नांदे गडी है और उनके पूर्वजों के लगाये 1 आम 2 महुआ के पेड हैं, व 1 चिल्विल व लहसोडा व एक अमरूद का पेड वादीगण के लगाये हैं। यह सभी पेड वादीगण के संयुक्त स्वामित्व के हैं और भूमि पर वादीगण के जानवर बाँधते हैं। इस भूमि को संलग्न कमीशन आख्या व कमीशन मानचित्र अक्षर ई, एफ, जी, एच, आई, जे से दर्शाया गया है जिसकी सीमाओं ने पूरब सहन व मकान वादीगण मैकू व बलदेव, पश्चिम बाग बल्देव, उत्तर रास्ता दक्षिण बाग रामकुमार है। वादीगण के मकान व सहन क साथ–साथ प्रतिवादीगण के मकान कि स्थिति भी इस वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा कमीशन में यथास्थान प्रकट किये गये हैं। यह नक्शा नजरी वाद पत्र का अंश है। बलदेव वादी क निवास वाले मकाने के पश्चिमी दरवाजे के समाने स्थित सहन भूमि व पेड़ो से प्रतिवादीगण का कोई संबंध कभी नही रहा फिर भी प्रतिवादी रामविलास सरकशी के आधार पर लगभग 15 दिन पूर्व उक्त सहन में खड़े पड़ो में से आम के पेड का बलपूर्वक काटने का प्रयास किया जिसके संबंध में वादीगण की ओर से पुलिस को

सूचना दी गयी जिस पर स्थानीय पुलिस ने तत्काल पेड़ काटने से रोक दिया परन्तु साथ ही साथ वादीगण को यह निर्देश दिया कि वह दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर ले क्योंकि इस संबंध में पुलिस हस्तक्षेप नही कर सकती है। वाद की कारण दिनांक 02.10.1990 को जब प्रतिवादी सं०–01 ने प्रतिवादी सं०–2 की सहमति से बलपूर्वक आम का पड़ काटने का पहली बार प्रयास किया एवं दिनांक 21.10.1990 को जब उसने स्थगन आदेश न होने के कारण दोबारा पेड़ बलपूर्वक काटने की धमकी दी, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ।

5– अवर न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा अपना वादोत्तर कागज संख्या–31 क 1 प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में यह अभिकथन किया गया है कि वाद पत्र की धारा 1 से 4 स्वीकार है तथा 5 से 12 अस्वीकार है। विशेष कथन में प्रतिवादीण की ओर से कथन किया गया है कि मथुरा के मकान का निकास पूरब की ओर है और उसके आगे छप्पर पड़ा है छप्पर के बाद रास्ता है जो उत्तर और दक्षिण के रास्ते को मिलाता है और रास्ते से पूरब प्रतिवादीगण के मकान हैं। वादी बल्देव व मैकू के मकान का निकास उत्तर की ओर था। पश्चिम की ओर मैकू ने अभी हाल ही में दरवाजा फोड़ लिया है। मैकू बल्देव के मकान के पश्चिम मैकू बल्देव का थोड़ा सहन है जिसमें उनकी नांदें गड़ी हैं और नांदों के बाद की सम्पूर्ण भूमि जिसमें अमरूद 1. आम 1, धनियाँ 1, चिलवल 1, बबुरा 1 व महुआ 1 जिसमें दो शाखें फूटी हैं प्रतिवादीगण की हैं और पेड़ प्रतिवादीगण के पूर्वज छत्ता आदि के लगाये हैं। इसी भूमि से प्रतिवादीगण का घूरा लगा है, खूंटा गड़े हैं और पैरा पड़ा है। यह संलग्न नक्शा नजरी में A, B, C, D, E, F, से दिखाया गया है। वादीगण द्वारा दाखिल नक्शा नजरी गलत है, अतः प्रतिवादीगण अपने लिखित उत्तर के साथ नक्शा नजरी संलग्न करते हैं जो लिखित उत्तर का अंश है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को विशेष हर्जे के साथ निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– वादीगण की ओर से सूची 167 ग से नकल परिवार रजिस्टर भिठौली पृष्ठ संख्या 360, नकल पीरनगर रजिस्टर मिठौली पृष्ठ संख्या 359, नकल खतौनी ग्राम भिठौली खाता संख्या 360, व नकल खतौनी ग्राम भिठौली खाता संख्या 310, व साक्ष्य शपथ पत्र बाबूराम पी०डब्लू० 1 (कागज संख्या 241 क1) साक्ष्य शपथ पत्र राजाराम पी०डब्लू० 2, (कागज संख्या 215 क1), साक्ष्य शपथ पत्र लालचन्द्र, पी०डब्लू० 3 (कागज संख्या 216 क1), साक्ष्य शपथ पत्र विनोद पी०डब्लू० 4, (कागज संख्या 228 क1), प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य

शपथ पत्र रामविलास डी०डब्लू० 1 (कागज संख्या 231 क), साक्ष्य शपथ पत्र चेतराम डी०डब्लू० 2 (कागज संख्या 230 क), साक्ष्य शिपय पत्र चेतराम डी०डब्लू० 3 (कागज संख्या 238 क1), व सूची 241 ग से एक किता नकल इन्तखाब खतौनी ग्राम भिठौली, परगना पीरनगर, तहसील सिधौली (कागज संख्या 242 ग1) व एक किता नकल खसरा ग्राम मिठौली, परगना पीर नगर, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर (कागज संख्या 243 ग1) पत्रावली पर दाखिल की गयी है।

7– अवर न्यायालय में उभय पक्षों के अभिकथनों के आधार पर दिनांक 28.02.1997 को निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किये गये–

(i)– क्या वादीगण विवादित भूमि वर्णित वादपत्र व उसमें, स्थित आशियाय का मालिक काबिज है?

(ii)– अन्य अनुतोष यदि कोई हो।

8– अवर न्यायालय ने पक्षकारों की मौखिक बहस सुनने एवं लिखित बहस का अवलोकन करने के उपरांत वादबिन्दुओं का निस्तारण करते हुए वादीगण का वाद निरस्त कर दिया। उक्त पारित आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

9– मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

10– अपीलार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि– अपीलार्थीगण ने एक वाद स्थायी प्रतिबंध का वाद न्यायालय में इस संदर्भ के साथ योजित किया था कि अपीलकर्तागण विवादित जगह जो संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर अ, ब, स, द से दिखाये गये जिस पर अपीलकर्तागण का कब्जा अरसा दराज से निरन्तर चला आ रहा है। इस विवादित जगह में अपीलकर्तागण के लगाये हुए वृक्ष है, नांदे बनी है, छप्पर पड़ा है। जिस पर अपीलकर्तागण काबिज है। यह तथ्य अपीलकर्तागण ने नक्शा कमीशन से भी साबित कर दिया है। रेस्पांडेन्ट ने इस विवादित भूमि को घोषित किया है। लिखित उत्तर व वाद पत्र के आधार पर वाद बिन्दु निर्गत किये गये है परन्तु कब्जा के संदर्भ एवं स्वामित्व के संदर्भ में कोई वाद बिन्दु निर्मित नही किया गया है और न ही इस तथ्यों का निस्तारण किया है। मौखिक साक्ष्य अपीलकर्तागण व विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी है। उससे यह स्पष्ट नही होता है कि वास्तविकता स्वामी विवादित जगह का कौन है तथा जो अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली में दिया गया है वह यह साबित नही कर सके है कि यह विवादित जगह पहले राजस्व भूमि की थी जिसका आबादी में संशोधित करके कब्जा किया

गया है। वास्तविकता यह है कि अपीलकर्तागण का कब्जा विवादित भूमि पर 20 से 25 साल से चला आ रहा है। जिससे अपीलकर्तागण के अधिकार वैधानिक रूप से परिपक्व हो गये है अपीलकर्तागण व विपक्षीगण एक ही वंशावली के अन्तर्गत है जिसका कोई विभाजन पक्षगण के मध्य में वैधानिक रूप से न होकर आपसी विभाजन कर लिया है और आपसी विभाजन के आधार पर अपीलकर्तागण काबिज चले आ रहे है। इस संदर्भ में विपक्षीगण द्वारा कोई ऐसी मौखिक एवं लिखित साक्ष्य नही प्रस्तुत की गयी है जिससे यह स्पष्ट व साबित हो कि विपक्षीगण ही इसके स्वामी है। अधीनस्थ न्यायालय में भी सभी तथ्य अपीलकर्तागण के मानते हुए केवल धारा 9 के आधार पर ही अपीलकर्तागण का वाद निरस्त किया है। धारा 9 में अधीनस्थ न्यायालय में वर्णित किया है कि सन् 1360 फसली के पूर्व इन्द्राज होना कहकर वाद को निरस्त किया है जो किसी प्रकार से इस प्रकरण पर लागू नही होता है क्योंकि यह विवादित भूमि आबादी की है यदि आबादी न होती तो यह इन्द्राज सही माना जाता विधिअनुसार यह तथ्य किसी भी दशा में मानने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है तथा आबादी की भूमि के संबंध में कोई अपना तथ्य स्पष्ट नही किया है। केवल धारा 9 का सहारा लेकर वाद को निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है जिससे इरूप्लेकेबिल लांस होगा। विपक्षीगण की ओर से नजीरे प्रस्तुत की यी है कि वह किसी भी प्रकार से इस वाद में लागू नही होती है। यहाँ पर केवल अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना है कि वाद बिन्दु निर्मित न होने की वजह से समस्त कार्यवाही अवैधानिक तरीके से निस्तारित की गयी है इस स्थिति में यह आवश्यक है कि अपील स्वीकृत करते हुए इस निर्देशन के साथ स्वीकृत की जाये की अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः वाद बिन्दु निर्मित करके इस वाद को निस्तारित किया जाय। अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण द्वारा लिखित उत्तर व नक्शा नजरी प्रस्तुत किया है जो कमीशन आख्या के आभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये है वह भी सक्षम व स्वतंत्र रूप में नही है जबकि अपीलकर्तागण द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गये है वह स्वतंत्र रूप में है एवं विश्वसनीय है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में कोई कटाक्ष नही किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने उस साक्ष्य में कोई टिप्पडी नही लिखी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलकर्तागणों के तथ्यों को अस्वीकार नही किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्तागण ने केवल धारा 9 के आधार पर वाद निरस्त किया है जबकि धारा 9 आबादी भूमि होने

के कारण लागू नही होती। अतः अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

11– प्रस्तुत मामले में पक्षकारों के कथन व अपील के स्तर पर प्रस्तुत किये गये तर्क के परिप्रेक्ष्य में अब यह देखा जाना है कि क्या अवर न्यायालय द्वारा विरचित किये गये वाद बिन्दुओं को तथ्य एवं साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधितः निस्तारित किया गया है।

<u>निष्कर्ष</u>

12– दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात मुख्य अवधार्य बिन्दु यह है कि–

(i)–क्या वादीगण विवादित स्थल जो क्रमशः अक्षर ए, बी, सी, डी एवं अक्षर ई, एफ, जी, एच. आई, जे से लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है के जुज भाग के मालिक व काबिज हैं और जिसकी चैहद्दी उत्तर कोलिया, दक्षिण आम रास्ता पूरब दुछनिया छप्पर रामकली, पश्चिम मकान मथुरा वादी दर्शाया गया है।

(ii)–क्या अपील स्वीकार किये जाने योग्य है?

13–निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0–1–

अवधार्य बिन्दु सं0–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण विवादित स्थल जो क्रमशः अक्षर ए, बी, सी, डी एवं अक्षर ई, एफ, जी, एच. आई, जे से लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है के जुज भाग के मालिक व काबिज हैं और जिसकी चैहद्दी उत्तर कोलिया, दक्षिण आम रास्ता पूरब दुछनिया छप्पर रामकली, पश्चिन मकान मथुरा वादी दर्शाया गया है जिसका कोई अधिकार प्राप्त है?

सबसे पहले अवर न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध कमीशन आख्या का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अवर न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध कमीशन आख्या में दर्शित किया गया है कि न्यायालय के आदेशानुसार कमिश्नर नियुक्त होकर उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सूचना देने के पश्चात दिनांक ३१ – १०–२००८ को ग्राम गंगापुर मजरा भिठौली परगना पीर नगर तहसील सिधौली जिला सीतापुर पहुंचा उभय पक्षों एवं गांव वालों के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। चौहद्दी विवादित स्थल ए,ब,सी,डी, उत्तर कोलिया, दक्षिण आम रास्ता, पूरब दुक्षनिया छप्पर रामकली, पश्चिम मकान वादी मथुरा प्रसाद। चौहद्दी विवादित स्थल इ०एफ०जी०एच०आई०जे० उत्तर आम रास्ता, दक्षिण बाग रामकुमार वर्मा, पूरब सहन मकान बल्देव, पश्चिम बाग बल्देव। ए०बी०सी०डी० पर वादी मथुरा ने अपना

कब्जा बताया जिसका समर्थन उपस्थित लोगों एवं प्रतिवादीगणों ने भी किया तथा अपने से वास्ता न होना बताया। इ०एफ०जी०एच०आई०जे० पर वादी पक्ष के लोगों ने अपना कब्जा होना बताया। इसी विवादित स्थल पर पड़े घूरों में से एक वादीगण तथा एक प्रतिवादीगण का बताया गया। उपस्थित लोगों ने बताया ई०एफ०जी०एच०आई०जे० भाग ग्राम समाज की खाली भूमि थी जिस पर दोनों पक्ष कब्जे को लेकर आये दिन विवाद करते हैं तथा घूरा दोनों पक्षों के पड़े हुए हैं। अन्य तथ्य प्रकाश में नहीं आये। इसके अतिरिक्त नक्शा कमीशन में ए०बी०सी०डी० पर कब्जा मथुरा वादी का बताया गया है तथा ई०एफ०जी०एच०आई०जे० के पूरब बल्देव का मकान तथा पश्चिम दुक्षनिया छप्पर बल्देव दर्शाया गया है। उक्त नक्शा कमीशन में प्रतिवादी का कोई कब्जा दर्शित नहीं है। इसके अतिरिक्त वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में सूची १६७ग से नकल परिवार रजिस्टर भिठौली, नकल परिवार रजिस्टर, नकल खतौनी भिठौली खाता सं०–३०६, नकल खतौनी भिठौली खाता सं० ३१० प्रस्तुत की गयी है। जिससे भी वादी बल्देव का नाम बतौर वारिसान दर्ज होना परिलक्षित है। प्रतिवादी की ओर से सूची २४१ग से एक किता नकल इन्तखाब खतौनी ग्राम भिठौली, एक किता नकल खसरा ग्राम भिठौली प्रस्तुत की गयी है जो आबादी की भूमि दर्शित की गयी है। वादी द्वारा जो खतौनी दाखिल की गयी है वह वर्ष१३८३ फ० से भौमिक अधिकार में होना दर्शित है। वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि वादीगण के पूर्वजों के पास दो मकान थे जिनमें से वादी मथुरा एक मकान में रहने लगा और दूसरे माकन में वादी बल्देव व मैकू रहने लगे। यह व्यवस्था केवल भोजन व रहने की सुविधा के लिए हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध कमीशन आख्या कागज सख्या 200 ग वादपत्र के अंश है जिसमे वादिय स्थल को क्रमशः अक्षर ए, बी, सी, डी एवं अक्षर ई, एफ, जी, एच. आई, जे से लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। मथुरा के मकान का निकास पूरब की ओर है जिसके आगे सहन है। वादी के मकान का सहन है जो प्रतिवादीगण के मकान की पिछली दीवाल तक है और इसी मकान के दक्खिन वादीगण की भूमि है वादी मथुरा के इस सहन को संलग्न कमीशन आख्या व कमीशन नक्शा में लाल रंग से एवं अक्षर ए, बी, सी, डी से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी चौहद्दी में उत्तर कोलिया, दक्षिण आम रास्ता पूरब दुछनिया छप्पर रामकली, पश्चिम मकान मथुरा वादी है तथा दूसरे मकान में मैकू, बल्देव तथा उनके वारिस रहते है जिसमें पश्चिम दरवाजे के आगे सहन है जिसमें वादीगण की नाँदे गड़ी है, उनके पूर्वजों द्वारा लगाये गये वृक्ष है। वादीगण जानवर

बाँधते है जिसे नक्शा कमीशन में ई, एफ, जी, एच, आई से दर्शाया गया है, जिसकी चौहद्दी पूरब सहन व मकान वादीगण मैकू व बल्देव, पश्चिम बाग बल्देव, उत्तर रास्ता, दक्षिण बाग रामकुमार है वादी के निवास वाले मकान के पश्चिम स्थित सहन भूमि में खड़े पेड़ो को प्रतिवादीगण काटने के प्रयास में आतुर है। अतः स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण उक्त विवादित स्थल ए, बी, सी, डी, तथा ई, एफ, जी, एच, आई पर प्रदान किये जाने की याचना की गयी। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया गया है कि मथुरा के मकान के निकास पूरब की ओर है और उसमें आगे छप्पर पड़ा है। छप्पर के बाद रास्ता है और रास्ते के बाद प्रतिवादीगण का मकान है। प्रतिवादीगण की ओर से यह भी कथन किया गया है कि वादीगण बल्देव व मैकू के मकान का निकास उत्तर की ओर था जिसे हाल ही में दरवाजा फोड़कर पश्चिम की तरफ कर लिया है। वादी मैकू व बल्देव के मकान के पश्चिम मैकू, बल्देव का थोड़ा सहन है जिसमें उसकी नादे गड़ी है तथा नादों के बाद का सम्पूर्ण भूमि जिसमें पेड़ लगे है वह प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा लगाये गये है। वह सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण की है। अतः दावा निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा अपने कथनों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में जिन साक्षियों को परीक्षित कराया है उनके साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि वादी साक्षीगण ने वादपत्र में कहे गये कथनों का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है और उक्त कथनों को अपने अभिलेखीय साक्ष्य से भी साबित किया है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से उसका कब्जा कई वर्षो से चला आ रहा है। जिससे अपीलकर्तागण के अधिकार वैधानिक रूप से परिपक्व हो गये हैं। विपक्षीगण की ओर से ऐसा कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट व साबित हो कि विपक्षीगण ही इसके स्वामी हैं। अवर न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से इंकार नहीं किया गया है, परन्तु धारा ९ को आधार बनाया गया जो कि प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि उक्त विवादित भूमि आबादी की भूमि है इसलिए धारा ९ इस प्रकरण में लागू नहीं होती है। अवर न्यायालय को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए था कि उक्त विवादित भूमि पर किसका कब्जा है और किस पक्ष द्वारा उसे अपने मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से साबित किया है। अवर न्यायालय में विपक्षीगण द्वारा जो साक्ष्य व नक्शा प्रस्तुत किया गया है वह न्यायालय द्वारा कराये गये कमीशन आख्या से भिन्न है। वादी द्वारा यह साबित किया गया है कि वह उक्त विवादित भूमि पर

काबिज है जिसे खतौनी खाता संख्या २०६ पर खातेदार बल्देव तथा खाता संख्या ३१० की खतौनी पर खातेदार मैकू का नाम अंकित है। उक्त दोनों खतौनियों पर भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष १३८३ फसली अंकित है। अर्थात १३८३ फसली से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज हैं। अवर न्यायालय ने जो विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है उसमें भी यह अवधारित है कि मकान का स्वामी निहित होने के दिनांक से मकान का सहन अर्थात मकान से जुड़ी सामने की खाली भूमि अगवाड़ा, पिछवाड़ा का भी वह स्वामी हो जायेगा। जिससे भी वादीगण उक्त भूमि के स्वामी होना साबित होते हैं। वादीगण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त भूमि पर उसके पूर्वजों द्वारा पेड़ लगाये गये थे। इसलिए भी उनका पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। इसका भी कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है। वादीगण का उक्त कथन भी कमीशन आख्या से साबित होता है। धारा ९ के प्राविधान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। सहन की भूमि के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से वादी/अपीलार्थी अपना केस साबित कर सका है, उसका कब्जा है तथा विवादित सम्पत्ति पर उसके पेड़ हैं, इसके विपरीत प्रतिवादीगण के पास स्पष्ट साक्ष्य, न कब्जे का है, न मिलकाना हक का है। प्रतिवादी के अभिकथन साक्ष्य के मोहताज हैं। जबकि अपीलार्थीगण के पास पर्याप्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य है। उपरोक्त आधार पर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में त्रुटि कारित की गयी है। वादीगण/अपीलार्थीगण विवादित भूमि के स्वामी एवं काबिज होना सिद्ध करने में सफल रहे हैं। अतः अवधार्य बिन्दु सं० –१ वादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

14–<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0–2:–</u>

अवधार्य बिन्दु सं0–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अपील स्वीकार किये जाने योग्य है?

अवधार्य बिन्दु सं0–1 के निस्तारण से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण/अपीलार्थीगण वादपत्र की धारा–12 में वर्णित भूमि ए०बी०सी०डी० एवं ई०एफ०जी०एच०आई० व उस पर स्थित पेड़ों के मालिक व काबिज हैं तथा अपने मालिकाना हक को सिद्ध करने में सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादी वादपत्र में मांगे गये अनुतोष बाबत विवादित सम्पत्ति स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादी के विरूद्ध पाने के अधिकारी हैं। तदनुसार वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण को सदैव के लिए वर्जित किया जाता है कि वह विवादित संपत्ति जिसे वादपत्र की धारा–12 में वर्णित किया गया है, से वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार का कोई हस्ताक्षेप न

करें और न ही बेदखल करें। अपीलार्थीगण की अपील में बल है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं०–2 निस्तारित किया जाता है।

15– उपरोक्त समस्त परिचर्चा के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 261/1990 में दिया गया निष्कर्ष/निर्णय दिनांकित 30–09–2022 निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

16– अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत आदेश/निर्णय दिनांकित 30–09–2022 निरस्त किया जाता है। वादीगण का दीवानी वाद 261/1990 अपीलार्थीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–13–05–2026

(महेन्द्र सिंह–IV)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–2, सीतापुर।
J.O.Code-UP 6113

निर्णय आज खुले न्यायालय में तिथि सहित हस्ताक्षर करके मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया।

दिनांक–13–05–2026

(महेन्द्र सिंह–IV)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–2, सीतापुर।
J.O.Code-UP 6113

कृष्ण/–

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2026.05.13 17:21:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court sitapur